



Neutral Citation No. - 2026:AHC:54782

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी याचिका संख्या - 9763 वर्ष 2026

हरिकेश शाहनी

...याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य

...प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: शिव बाबू दुबे

प्रतिवादी के अधिवक्ता: ए.एस.जी.आई., सुमन जायसवाल

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव बाबू दुबे और प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुमन जायसवाल की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ता की एकमात्र शिकायत यह है कि रेल दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के दिनांक 16.05.2024 के विवादित निर्णय द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में 80,000/- रुपये की राशि जारी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करने का निर्देश अनुचित, अन्यायपूर्ण और घोर अपर्याप्त है। यह रेल दुर्घटना में याचिकाकर्ता को हुई चोट के मुआवजे के उद्देश्य को विफल करता है।

3. अभिलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि 04.08.2014 को हुई एक रेल दुर्घटना में याचिकाकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता ने 10.11.2014 को दावा याचिका दायर की। यह निर्णय 16.05.2024 को लिया गया, दुर्घटना घटने के लगभग दस वर्ष बाद। फिर भी, उस फैसले में, न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता को 8,00,000 रुपये का मुआवजा दिया है।

4. न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता को 80,000/- रुपये जारी करने का प्रावधान किया है और शेष राशि तीन वर्ष की अवधि के लिए सावधि जमा में जमा की जानी है।

5. याचिकाकर्ता को जारी की गई राशि पूरी तरह से अपर्याप्त होने और यांत्रिक तरीके से जारी किए जाने से व्यथित है। कुल मुआवजे को देखते हुए वर्तमान में केवल 80,000 रुपये ही जारी किए जाएंगे, जबकि याचिकाकर्ता का दावा है कि 8,00,000 रुपये का मुआवजा दिया गया है। वर्तमान में, याचिकाकर्ता पूरी दी गई राशि जारी करने की प्रार्थना करता है।

6. दूसरी ओर, रेलवे के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पुरस्कार के नब्बे प्रतिशत हिस्से को जारी करने पर रोक लगाने का आदेश केवल याचिकाकर्ताओं के हित में है, क्योंकि उन्हें तीन साल बाद ब्याज सहित अधिक राशि प्राप्त होने की संभावना है।

7. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनने और रिकॉर्ड का अध्ययन करने के बाद, यह स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में सार्वभौमिक रूप से लागू सिद्धांत पर कोई विवाद नहीं हो सकता

है, जहां मुआवजे की आंशिक राशि पुरस्कार दिए जाने के समय जारी की जाती है और शेष राशि

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दावेदारों के लाभ के लिए निवेश की जाती है। लेकिन साथ ही, इसे सभी मामलों में एक नियम के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ऐसे मामलों में विवेक का प्रयोग व्यक्तिगत तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। जिस दावेदार का पैर काट दिया गया है और जिस पर कुछ आश्रितता का दावा भी किया जा सकता है, उसे मुआवजे की राशि प्राप्त करने के लिए वर्षों तक मुकदमा लड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और फिर अदालत द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग के कारण, ऐसे दावेदार के हित में, उस मुआवजे को प्राप्त करने के लिए और वर्षों तक इंतजार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

8. इसलिए, विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धांत को व्यावहारिकता के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि मामले की समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित राशि जारी की जा सके।

9. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने चोट लगने के बाद से मुआवजे के लिए दस वर्ष तक प्रतीक्षा की है। वर्तमान में दिया गया मुआवजा भी अत्यधिक नहीं है, बल्कि 8,00,000 रुपये की एक मामूली राशि है।

10. तदनुसार, दिनांक 16.05.2024 के फैसले में संशोधन किया जाता है।

11. स्वीकृत राशि का 75% यानी 6,00,000/- रुपये, आनुपातिक ब्याज सहित, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी किया जाए। शेष राशि को तीन वर्ष की अवधि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में उच्चतम ब्याज दर वाली सावधि जमा में निवेश किया जाए और रखा जाए।

12. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. यह स्पष्ट किया जाता है कि अवार्ड के अनुपालन में भुगतान की गई कोई भी राशि इस आदेश के अनुसार जारी की जाने वाली राशि के विरुद्ध समायोजित की जा सकती है।

14. साथ ही, यह आदेश याचिकाकर्ता के वेतन वृद्धि का दावा करने के अधिकार से स्वतंत्र रूप से पारित किया गया है, यदि वह ऐसा करना चाहे।

(न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम)

17 मार्च, 2026

नितिका श्री.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।